

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ)
BHOPAL**

Application No. **221**/2024

Between

Kamlesh Roj

.....Applicant

AND

State of Rajasthan


.....Respondents

INDEX

S.L.	Description	P. No.
1.	Compilation No. I	1
2.	Synopsis	2-3
3.	Chronology of Events	4
4.	Memorandum of Application	5-24
5.	Affidavit in support of the Original Application	25-26
6.	Compilation No. II	27
7.	List Of Documents	28.
8.	Documents	29-106
9.	Vakalatnama	107

DATE: 23/08/2024

PLACE: Bhopal


SHRIRAM JAKHAR / SEEMA ROJ/ RINKU ROJ
COUNSEL FOR THE APPLICANT

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ)
BHOPAL**

Application No. 221/2024

Between

Kamlesh Roj

.....Applicant

AND

State of Rajasthan


.....Respondents

Compilation No. I

Sr. No.	Particulars	P. No.
1.	Synopsis	2-3
2.	Chronology of Events	4
3.	Memorandum of Application	5-24
4.	Affidavit in support of the Original Application	25-26

DATE: 23/08/2024

PLACE: Bhopal


SHRIRAM JAKHAR / SEEMA ROJ/ RINKU ROJ
 COUNSEL FOR THE APPLICANT

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ)
BHOPAL**

Application No. **221**/2024

Between

Kamlesh Roj

.....Applicant

AND

State of Rajasthan

.....Respondents

BRIEF SYNOPSIS

That the present Original Application has been filed with the intention of protecting the Historical Chaparwada Canal free from the any Encroachment activities. The Chaparwada Dam, constructed by British authorities and completed in 1894, was designed primarily for irrigation purposes in the surrounding areas. Drawing water from the Banas River and local streams in the Dudu region, the dam features a canal with a total length of 4328 meters and a maximum height of 13.41 meters. Despite its historical significance, the dam's capacity to fulfill its irrigation mandate is being compromised due to significant encroachments and mismanagement.

The Chaparwada Dam relies on several water sources, including the Kalakh Dam Feeder, the Etakhoi/Etagoi Feeder, and the Ganga Sagar Feeder. The Kalakh Dam Feeder, the primary source, has been severely impacted by encroachments, disrupting water flow and adversely affecting local agriculture. The Etakhoi/Etagoi Feeder, which includes an anicut for water diversion, is also compromised due to respondent authorities' negligence and heavy encroachment, resulting in a prolonged dry spell and potential flood risks in surrounding areas.

The Ganga Sagar Talaab, another critical water contributor, has similarly faced encroachments, leading to significant environmental degradation. The stream from Ganga Sagar Talaab to the Chaparwada Dam has been obstructed, and the respondent authorities have failed to address these encroachments despite numerous protests from environmentalists. The ongoing industrial encroachments and deforestation are causing halted water supply, with severe ecological and environmental consequences.

Respondents have unlawfully converted buffer lands and catchment areas into commercial uses, such as factories, violating environmental regulations and contributing to the degradation of water bodies. The pollution from industrial waste and improper waste management practices poses health risks and further disrupts water flow. The petition seeks directives for the restoration of encroached lands, cessation of illegal constructions, and remediation of the pollution affecting the Chaparwada Dam's functionality and surrounding environment.

Despite several notices and requests for action under the Right to Information Act, there has been inadequate response from the authorities. The petition demands comprehensive measures to address the encroachments, restore the natural water courses, and ensure adherence to environmental regulations to safeguard the Chaparwada Dam's purpose and the well-being of the local communities' dependent on it. Hence, the instant Original Application is filed under Sections 14, 15, and 18 of the National Green Tribunal Act, 2010.

DATE: 23/08/2024

PLACE: Bhopal



SHRIRAM JAKHAR/ SEEMA ROJ/ RINKU ROJ
COUNSEL FOR THE APPLICANT

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ)
BHOPAL**

Application No. **221**/2024

Between

Kamlesh Roj

.....Applicant

AND

State of Rajasthan


.....Respondents

CHRONOLOGY OF EVENTS

DATE	EVENTS
1894	Construction of the Historical Chaparwada Dam completed.
2022	Several location of the Kalakh feeder of the Canal faced encroachment and Respondent no 6, issued notices to the encroachers to remove such encroachment.
07.02.2024	Order of Respondent no 18 directing to convert the khasra no. 1657 Gair mumkin Pal of Canal into Industrial use.
23/08/2024	Instant Original Application Filed.

DATE: 23/08/2024

PLACE: Bhopal


SHRIRAM JAKHAR / SEEMA ROJ/ RINKU ROJ
COUNSEL FOR THE APPLICANT

FORM-I**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ)
BHOPAL****MEMORANDUM OF APPLICATION**

(Under Section 18(1) read with Sections 14, 15, of National Green Tribunal Act 2010)

Application No. **221** /2024

Between

Mr. Kamlesh Roj s/o Prahlad Sahay Roj, R/o Roj Dhani, Village- Baget,
Gram Panchayat- Khudiyala, Tehsil- Mojmabad, District- Dudu- 303008

: -- Applicant

AND

1. The State of Rajasthan
Through the Chief Secretary
Government of Rajasthan, Secretariat,
Jaipur-302005.
Email: csraj@rajasthan.gov.in
2. Department of Water Resources
Through the Additional Chief Secretary,
Government of Rajasthan, Secretariat,
Jaipur-302005
3. Rajasthan Pollution Control Board, 4,
Through the Chairperson
Jhalana Institutional Area
Jhalana Doongri, Jaipur (Rajasthan) Pin: 302004
Email:- chairperson@rpcb.nic.in
4. Department of Water Resources
Through the Chief Engineer,
Indira Gandhi Nahar Mandal office,
C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan, 302001
5. Executive Engineer,
Water Resources Div. Jaipur
Near Railway Station Jaipur,
Jaipur, Rajasthan-302016

Kamlesh

6. Assistant Engineer,
Water Resources Department, Tehsil, Dudu
Chaparwada Dam, Dudu-303008
7. National Highway Authority of India,
Through the Chairman
G 5&6, Sector-10, Dwarka,
New Delhi-110075
8. M/s Chiripal Renewable Energy Pvt. Ltd.
Through its Director/Authorized Signatory
Khasra no. 1657, Gram- Dudu,
Tehsil Dudu, District Dudu-303008, Rajasthan
9. M/s Grew Energy Pvt. Ltd.
Through its Director/Authorized Signatory
Khasra no. 1657, Gram- Dudu,
Tehsil Dudu, District Dudu-303008, rajasthan
10. M/S Magnatix Rocks Private Limited
Through its Director/Authorized Signatory/Manager
Khasra no. 2313/632, on highway NH48,
Gidani, Tehsil- Maujamabad, Dudu-303008, Rajasthan
11. The District Collector, Dudu
As district collector and
President of Environment Committee,
Dudu Collector Office, Dudu, Rajasthan- 303008, Rajasthan
12. The District Collector, Jaipur
As district collector and
President of Environment Committee,
Jaipur Collector Office, Bani Park
Jaipur, Rajasthan- 302016
13. The Sub Divisional Magistrate,
Dudu, District, Dudu
SDM Office, Dudu,
Rajasthan-303008
14. The Sub Divisional Magistrate,
Mojmabad, District, Dudu
SDM Office, Mojmabad,
Rajasthan-303009
15. The Principle Secretary,
Panchayati Raj Department,
Govt. of Rajasthan,
Secretariat, Jaipur-302005

Kamrul

16. Assistant Executive Officer,
Jila Parishad, Dudu,
Narena Road, Dudu-303008
17. Cheif Executive Officer,
Jila Parishad, Jaipur,
Near Colleactrate office, Bani Park,
Jaipur-302016
18. Commissioner,
Nagar Parishad Dudu,
Dudu-303008
19. Board of Revenue Department,
Through its Chairman
Gokhale Lane, Opp. Collectorate Office,
Basant Vihar, Todarmal Marg,
Civil Lines, Ajmer, Rajasthan-305001

:- Respondents

To ,

**THE HON'BLE CHAIRMAN AND HIS COMPANION MEMBER OF
THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**ORIGINAL APPLICATION UNDER SECTION 14, 15 AND 18 OF THE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010**

**HUMBLE APPLICATION SUBMITTED
BY THE APPLICANT ABOVE NAMED**

The Applicant is Mr Kamlesh Roj s/o Prahlad Sahay Roj, R/o Roj Dhani, Village- Baget, Gram Panchayat- Khudiyala, Tehsil- Mojmabad, District- Dudu- 303008, Rajasthan. The applicant is interested in the protection of the environment and in protection of the right to a clean environment guaranteed to them by the Constitution of India under Article 21 and in performance of his duty under Article 51A. The current application seeks clear

Kamlesh

directives for the restoration of the historic Chaparwada Canal Project's feeders and to ensure that they are free from any encroachments, in compliance with the Environmental Protection Act and other applicable environmental regulations set forth by the government. The prolonged negligence and erroneous actions of the responsible authorities have resulted in substantial encroachments on land associated with the canal, leading to significant environmental and biodiversity degradation in the Chaparwada Canal area.

The addresses for service on the applicants are that of their Counsel:


SHRIRAM JAKHAR / SEEMA ROJ/ RINKU ROJ

ADVOCATES FOR THE APPLICANT

OFFICE ADDRESS: 361, TAGORE NAGAR, 200
FEET BYPASS, MAIN CHORAHA,
AJMER ROAD, JAIPUR
E-Mail: ballb.jakhar@gmail.com/
seemaroj2@gmail.com
Mobile: 96496-16685/9116113778

The Respondents are: As mentioned in the cause title of the instant original application. The address for service on the respondent is as stated in the instant original application.



FACTS IN BRIEF

1. That the Historical Chaparwada Dam project was originally constructed by the British authorities, with the completion of the project occurring in the year 1894. The primary objective of the Chaparwada Dam is to provide irrigation for the surrounding localities. The main source of water for the dam is derived from the Banas River, Masi River, Bandi River⁹ and local streams in the Dudu area. The total length of the Chaparwada Dam canal measures 4328 meters, and the maximum height of the dam above its foundation is 13.41 meters. The Copy of Entire Physical Map of the Chaparwada Canal is marked and annexed herewith as Annexure 1.

2. That the Chaparwada Dam receives its water from multiple sources, including the Kalakh Dam Feeder located in Phulera, Jaipur Rural, the Etakhoi Feeder, and the Ganga Sagar Feeder in Dudu, along with several other smaller feeders that contribute water to the Chaparwada Dam. The water thus stored in the dam is subsequently utilized for the irrigation of local agricultural lands.

3. That the Kalakh Dam is the primary and largest supplier of water to the Chaparwada Dam, with Kalakh Feeder (Nala No. 12) serving as the main conduit for transporting water from the Kalakh Dam to the Chaparwada Dam. It is pertinent to mention here that there have been severe

Kamlesh

encroachments by local residents and industries, to which the respondent authorities have failed to, respond adequately. These encroachments have disrupted the natural water course, resulting in a failure to supply water to the Chaparwada Dam, thereby causing significant adverse effects on local agriculture.

4. That the Etakhoi/Etagoi Feeder is another significant contributor of water to the Chaparwada Dam. At Etakhoi/Etagoi, there is an anicut, from which water is diverted to the Chaparwada Dam by opening the gates of the anicut when there is an excess of water. If the gates are not opened and the water is not diverted to the Chaparwada Dam, the water continues along its natural course, leading to a flood-like situation in Malpura, Tonk, and Phagi, Dudu. There was a time when an employee of Respondent No.4 Water Resources Department, was responsible for operating the gates of the anicut. However, due to the negligence of the respondent authorities, water is no longer being diverted to the Chaparwada Dam. Moreover, the stream of the Etakhoi/Etagoi Feeder leading to the Chaparwada Dam has been heavily encroached upon by local residents, resulting in the stream drying up. There has been no trace of water in the stream for several years.
5. That the Another significant contributor of water to the Chaparwada Dam is the Ganga Sagar Talaab in Tehsil Dudu. It is pertinent to mention that the natural stream and

Kambal

water course from Ganga Sagar Talaab to Chaparwada Dam has also been encroached upon. At several places the stream disappears due to the actions of encroachers, and the respondent authorities have failed to address the situation. Despite numerous protests by environmental activists before the local respondent authorities, no attention has been paid. These water bodies and streams continue to be encroached upon by industries, and the work of encroaching on this stream land is ongoing. The respondent authorities are aware of the situation but appear to be supporting this encroachment. As a result, water supply to the dam has been halted, and dense trees along the stream have been cut down, with further deforestation underway, causing significant environmental damage.

6. That the Respondents No. 8 and 9 have unlawfully converted the Gair Mumkin Pal land of the Chaparwada Canal into their own name and established a factory(respondent no 8 & 9) thereon. Specifically, at Ram Nagar Mod, in the Ganga Sagar Talaab feeder stream, located at Khasra No. 2234 of Village Dudu, Patwari Halka Dudu A, Tehsil Dudu, District Dudu, Rajasthan, the stream supplies water to the Chaparwada Dam. Adjacent to this stream, in Khasra No. 2234, lies Khasra No. 1657, which served as the Gair Mumkin Pal (boundary wall) of the stream. The respondent authorities have illegally altered

Kambal

the status of this Gair Mumkin Pal land to Khatedari land and permitted the development of an industry on it by cutting down dense trees. This action constitutes a direct violation of Rule 4(D) of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes in Rural Areas) Rules, 2007, which explicitly prohibits the conversion of land within the catchment areas of rivers, streams, ponds, or other water bodies.

Moreover, the respondent authorities' illegal conversion of the catchment area land of the stream and the destruction of dense natural vegetation has caused severe ecological imbalance. Under the statutory mandate of Section 24(1)(b) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Water Act), and as established by the Hon'ble Supreme Court in judgments such as MC Mehta vs. Kamal Nath, (1997) 1 SCC 388, the flow of water cannot be obstructed by permitting any commercial construction. The State is required to act as a trustee in protecting the environment. In the present case, the flow of water has been completely stopped by private individuals due to the negligence of the respondent authorities. The Copy of Jama bandi of Khsra no. 1657 & Respondent no. 18 office orders are marked and annexed herewith as Annexure 2.

7. That Under the Right to Information Act, 2005, information was sought from the Water Sources

Kamlesh

Department, specifically from Respondents No. 5 & 6, concerning the conditions of the Chaparwada Canal Project and the encroachments thereon, including actions taken by the department to address such encroachments. According to the reply and documents provided by the respondents, it is evident that Respondent No. 5 issued notices to the encroachers to remove encroachments from the Kalakh Feeder of the Chaparwada Canal. Despite the issuance of notices by Respondent No. 6 at various intervals, no decisive or effective measures were undertaken by the respondents to physically remove the encroachments from the Kalakh Feeder. The Copy of notices to remove encroachment and Copy of RTI applications are marked and annexed herewith as Annexure 3 & Annexure 4 respectively.

8. That the Respondents No. 5 also provided a copy of the FIR lodged against the encroachers of the Kalakh Feeder of the Chaparwada Canal. According to the FIR, it is clear that there are actual physical encroachments on the land of the Kalakh Feeder, which serves as a water feeder for the Chaparwada Canal. The Copy of FIR to remove encroachment are marked and annexed herewith as Annexure 5.

9. That the Petitioner, an environmental activist committed to the protection of the environment, personally inspected

Kambal

the entire Kalakh Feeder of the Chaparwada Canal Project. During this inspection, the petitioner observed numerous instances of open encroachments on the catchment area and buffer land of the canal, as well as several illegal constructions on the land of the water stream. These encroachments are disrupting the flow of water, with instances where water is diverted from its original course, occasionally leading to flood-like conditions. Such excessive water diversion has resulted in the flooding of agricultural land, causing damage to crops and affecting local farmers. The encroachments have become a contentious issue among local villagers, leading to daily disputes over illegal water diversion. Despite these ongoing issues, the respondent authorities have not addressed the matter adequately, resulting in a growing defiance among the encroachers. The Copy of Photographs of Encroachment site are marked and annexed herewith as **Annexure 6.**

10. That the Respondent No. 4 has unlawfully granted a No Objection Certificate (NOC) to respondent 8 & 9 factory owners to establish factories on the buffer land (Gair Mumkin Pal) of the Chaparwada Canal. This land was originally designated for managing the flow of water during the rainy season when water levels naturally increase. The respondent authorities, however, illegally converted this land to commercial use, which is prohibited

Kandul

by law. This unauthorized conversion has narrowed the stream and severely affected the water flow. Additionally, several factories have been established along the stream banks, discharging waste material directly into the canal. This practice not only contaminates the water but also disrupts the water flow due to solid waste accumulation, eventually leading to a cessation of water flow.

11. That the small stream (local Naliya), which carries water from the main feeder to the local agricultural fields and ponds, has completely broken down due to the negligence and lack of maintenance by respondent no. 16 and 18. As a result, water is flowing onto local roads and pathways instead of reaching the agricultural land for irrigation.

12. That Respondent No. 10 is engaged in stone cutting operations and is disposing of their solid and liquid waste into the natural canal. Respondent No. 10 has also encroached upon the Gair Mumkin Pal (buffer land) of the feeder and established a private dumping yard. The Chaparwada Dam has been providing irrigation water to this area for decades. However, the dumping of solid and liquid waste by Respondents No. 10 into the natural course of the canal has posed a severe threat to the integrity of the canal and to the health of animals and birds that consume the contaminated water. The presence of liquid chemicals and white dust in the canal water presents significant health risks.

Kambh

13. That the Kalakh Feeder of the Chaparwara Canal Project is also utilized to fill the local ponds of 10 to 15 villages. The water from these ponds is crucial for drinking purposes for humans, animals, birds, and local flora and fauna. However, due to encroachments, these village ponds dry up during the non-rainy season, leading to severe water shortages for the local residents. The canal is the sole source of water for these communities. Additionally, the dense vegetation around these village ponds has been lost, resulting in significant environmental damage.

14. That the Chaparwada Dam, constructed with the objective of irrigating an area of approximately 70x70 kilometers, serves to irrigate around 5000 hectares of land. The local agricultural activities are heavily reliant upon the water supplied by the said dam. However, due to unauthorized encroachments on the catchment area and buffer land associated with the canal project, there has been a significant reduction in water storage capacity, particularly during periods of inadequate rainfall. Consequently, the supply of water to agricultural lands is either halted or significantly reduced, thereby causing substantial damage to crops. This, in turn, has a direct and adverse impact on the livelihoods of farmers and the broader economy of the nation.

Kamlesh

15. That the water from the Chaparwada Dam is being utilized for irrigation and the supply of drinking water to the local areas, including Dudu, Phagi, Maujmabad, and other surrounding regions. Furthermore, in the event of a drought during the summer season, the water from the canal may also be directed to local village ponds to provide drinking water for stray animals and birds, as well as to sustain vegetation. This water supply is thus crucial for the survival and well-being of the environment

16. That the encroachers have completely demolished the catchment area of the stream and leveled the land, including the Gair Mumkin Pal (buffer land) of the canal at several locations along the Kalakh Feeder. Along with the encroachment, dense bushes and trees have grown, and other disruptions have occurred in the catchment area, causing the water flow to be completely stopped due to the respondent authorities' failure to maintain the feeder. As a result of these illegal activities, water has been unlawfully diverted to the Naya Sagar Dam in Mojmadabad, causing excessive water accumulation and creating flood-like conditions in the agricultural lands of the Mojmadabad tehsil area.

17. That in the village of Sawarda, Tehsil Mojmadabad, District Dudu, at Chandarmool Maheshpoora Village road where the feeder of the Chaparwada canal crosses NH 48, the entire evidence of the feeder has been erased. Encroachers

Kamlesh

have completely demolished the feeder, leveled the land, and started developing it for commercial purposes. At this location, there is no trace left that a canal feeder ever existed, yet the respondent authorities have not taken any restrictive action against the encroachers. Several times local people and environment activists protest against the wrong doing of the encroachers but under pressure of high profile industrialists and local politicians respondent authorities paying no heed on this serious issue.

18. That several times, articles in local newspapers have exposed the vulnerability of the Chaparwada Canal project, but the respondent authority has clearly been negligent in handling the matter and fails to understand the gravity of the issue, continuing to neglect its duties. As a result, the canal water has become contaminated with white powder waste discharged by the stone cutting factories operating on the bank of feeder, directly affecting the health of the local people and causing damage to the agricultural soil. Additionally, the contaminated water has led to various types of allergies and poses a risk of life-threatening diseases. The Copy of Photographs of Danik Bhaskar Newspaper Article dated 21/08/2024 site is marked and annexed herewith as **Annexure 7.**

19. That the Respondent No. 07 has, in violation of the law, illegally dumped waste material and concrete into the

Kamla

stream running alongside the Jaipur to Ajmer Highway, thereby disrupting the natural flow of water and causing significant damage to the watercourse.

GROUNDS

- A. The respondent authorities have a duty under law to maintain and restore the Chaparwada Dam Canal to its natural state and maintain the whole land free from encroachment.
- B. The failure of the respondents to perform their duties has resulted in the present situation and in violation of all environmental laws.
- C. The respondents ought to have intervened to address the encroachment within the catchment area and Gair Mumkin Pal (Buffer Land) of the Chaparwada Canal feeder i.e. Kalakh Feeder, Itakhoi/Itagoi Feeder and Other Feeders.
- D. The respondents ought to have seen that dumping wastage all over the water Stream of the Kalakh Feeder of the Chaparwada Canal that is against environmental laws.
- E. The respondents ought to have taken stringent action against the local encroachers for unlawfully

Kamlesh

encroaching upon the canal feeder and causing disruption to the natural water course

- F. The respondents ought to have maintained the state of small stream (local naliya) which carries water from feeder to agricultural lands for irrigation.
- G. The respondents ought to have prevented the growing of dense bushes and trees in the course of water of the Chaparwada Canal.
- H. The respondents ought to have prevented the dumping of waste into the course of water of the Chaparwada Canal.
- I. The respondents ought to have removed encroachment within the catchment area and Gair mumkin Pal (Buffer Land) of the Chapareada Canal feeder i.e. Kalakh Feeder, Itakhoi/Itagoi Feeder and Other Feeders.
- J. The respondents ought to have canceled the No Objection Certificates (NOCs) of the illegally constructed factories situated on the catchment area and Gair Mumkin Pal (buffer land) of the Chaparwada Canal feeder, including the Kalakh Feeder, Itakhoi/Itagoi Feeder, and other associated feeders.
- K. The respondents ought to have taken action against the illegal conversion of Gair Mumkin Pal and other land associated with the canal project into commercial purposes.

Kambh

L. The failure of the respondents is violation of Article 21, 48A, 14 and Section 24(1)(b) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Water Act and all environmental laws.

CAUSE OF ACTION:

The cause of action for filing the instant Original Application arose for the Applicant when notices were issued by Respondent No. 6 in year 2022 to various encroachers to remove the encroachments. Since then, the cause of action has remained continuous in nature due to the ongoing unwarranted activities of the Non-Applicants.

LIMITATION:

The Applicant declares that as per the National Green Tribunal Act 2010 this application is well within the prescribed time.

INTERIM RELIEF:

Pending disposal of the application, the applicants pray that this Hon'ble Tribunal be pleased to DIRECT THE RESPONDENTS TO FORTHWITH

- A. Refrain from dumping liquid and solid waste into the feeders of Chaparwada Canal.
- B. Refrain from engaging in any further encroachment activities until the final disposal of the case.
- C. Ensure the demolition of the illegally construction over the land of Chaparwada Canal.
- D. Submit a comprehensive plan outlining the collection of illegally dumped waste scattered

Kamlesh

throughout the Stream, with the aim of preventing the unlawful encroachment of water body.

- E. To immediately remove all dense bushes and tree grown in the stream that are diverting the direction of water.
- F. To immediately remove all temporary obstructions and halt construction activities that are diverting the direction of water.
- G. Remove all solid and liquid waste from Kalakh Feeder of Chaparwada dam canal, and take measures to prevent further dumping in these areas.
- H. And such further order or orders as may be fit proper and necessary in the facts and circumstances of the case.

PRAYER

For the reasons stated above, it is humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

- A. Direct the respondent authorities to maintain the Chaparwada Canal Free from any Encroachment.
- B. Direct the respondent authorities to maintain the Kalakh feeder, Itakhoi/Itagoi Feeder and any other feeder of Chaparwada dam canal, free from any encroachments.
- C. Direct the respondent authorities to take immediate action to revoke the No Objection Certificates (NOCs) granted to the illegally constructed factories

Handwritten signature

situated on the Gair Mumkin Pal of the Chaparwada Canal project.

- D. Direct the respondent to cancel the illegal conversion of the Chaparwada Canal Gair Mumkin pal land into Industrial purpose and restore the pal of the canal.
- E. Direct the respondent authorities to take all necessary measures to halt the illegal temporary construction activities that disrupt the flow of water and alter the direction of the water of the Kalakh Feeder.
- F. Direct the respondent authorities take all steps to ensure that the course of the Chaparwada Dam Canal is restored and the flow of water is maintained.
- G. Direct the respondent authorities to calculate environment compensation to restore the environment.
- H. Direct the Respondent No. 7 to immediately remove all solid waste dumped in the stream of the Kalakh Feeder and to compensate for the damages caused by disrupting the flow of water in the stream.
- I. And pass such further order or orders as may be fit proper and necessary in the facts and circumstances of the case and thus render justice.

Kambal

VERIFICATION

I, Kamlesh Roj is the applicant herein, do hereby verify that the contents of the above paragraphs are true to the best of my Knowledge and grounds are based on legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Date:

Applicants

Place

Kamlesh Roj



SHRIRAM JAKHAR/ SEEMA ROJ/ RINKU ROJ

COUNSEL FOR THE APPLICANT

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ)
BHOPAL

Application No. 221/2024

Between

Kamlesh Roj

AND

The State of Rajasthan & ors.

AFFIDAVIT

I, Kamlesh Roj s/o Prahlad Sahay Roj, R/o Roj Dhani, Village-Baget, Gram Panchayat- Khudiyala, Tehsil- Mojmabad, District-Dudu- 303008 Rajasthan, do hereby take oath and state as under:-

1. That I am Petitioner in the instant Original Application and well conversant with the facts of the case and am thus fully competent to swear this affidavit.
2. That I am filing this instant Original Application under section 14, 15, 18 & 20 of the national Green Tribunal Act, 2010 before this Hon'ble Tribunal.
3. That I have read the accompanying Original Application, the contents of which are true and correct to the best of my knowledge and belief and has been drafted on my instruction by my counsel.

Identified by me Sharma



Kamlesh
DEPONENT

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
(GOVT. OF INDIA)
JAIPUR (INDIA)
23 AUG 2024

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify on oath that the contents of Para No. 1 to 3 of the above affidavit are true and correct to the best of my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false. So help me God.

Kambal

DEPONENT



ATTESTED
[Signature]
NOTARY PUBLIC
(GOVT. OF INDIA)
JAIPUR (INDIA)
23 AUG 2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ)
BHOPAL

Application No. 221/2024

Between

Kamlesh Roj

.....Applicant

AND

State of Rajasthan

.....Respondents

Compilation No. II

DATE: 25/08/2024

PLACE: Bhopal


SHRIRAM JAKHAR / SEEMA ROJ/RINKU ROJ

COUNSEL FOR THE APPLICANT

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ)
BHOPAL**

Application No. **221**/2024

Between

Kamlesh Roj

.....Applicant

AND

State of Rajasthan


.....Respondents


LIST OF DOCUMENTS

S. NO.	Particulars	Annexure	P. No.
1.	Copy of Entire Physical Map of the Chaparwada Canal	1	29
2.	Copy of Jama bandi of Khsra no. 1657 & Respondent no. 18 office orders	2	30-39
3	Copy of notices to remove encroachment	3	40-56
4.	Copy of RTI applications	4	57-60
5.	Copy of FIR to remove encroachment	5	61-64
6.	Copy of Photographs of Encroachment site	6	65-105
7.	Copy of Photograph of Danik Bhaskar Newspaper Article dated 21/08/2024	7	106

DATE: 23/08/2024

PLACE: Bhopal


SHRIRAM JAKHAR / SEEMA ROJ/ RINKU ROJ
COUNSEL FOR THE APPLICANT



CHHAPARWARA CATCHMENT AREA

सूचना का अधिकार

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
कल कल्याण उपखण्ड
रूर



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- दूदू

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2071 - 2074

पटवार हल्का :- दूदू ए

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- दूदू

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- दूदू

खाता संख्या नया :- 2215

जिला :- जयपुर

खाता संख्या पुराना :- 2029

काश्तकार का नाम :-

1. Ms CHIRIPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD. हिस्सा- पूर्ण जाति- (NA) सा. शान्ति कॉर्पोरेट हाउस हीरा रूपा हाल बोपाल अंबली रोड बोपाल अहमदाबाद औद्योगिक प्रयोजनार्थ,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1657	0.2900	औद्योगिक प्रयोजनार्थ	0.2900		स्वीकृत नामांतरकरण : 3511 05/07/2024रूपान्तरकरण	
कुल खसरे -1	0.2900					

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - H

पता - Dudu

प्रतिलिपि सं. - 154131

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय -19/Jul/2024 02:40:00 PM

नक़ल जारी करने का स्थान - दूदू

यू.एस.एन - 911425358221535112

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=911425358221535112>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - MADAN PARMAR

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 05/Jul/2024 11:24:00 AM



राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 19/07/2024 02:35:46 PM


जिला : जयपुर

तहसील : दूदू

भू. अ. नि. क्षेत्र : दूदू

पटवारी हल्का : दूदू ए

ग्राम : दूदू



Scale 1:4000

खसरा संख्या :1657 क्षेत्रफल : 0.2900 Hectare खाता संख्या : 2215पुराना खाता संख्या :2029

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

1.) Ms CHIRIPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD. हिस्सा- पूर्ण जाति- (NA) सा. शान्ति कॉर्पोरेट हाउस हीरा रूपा हाल बोपाल अंबली रोड बोपाल अहमदाबाद औद्योगिक प्रयोजनार्थ

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 - इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 - प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर परिषद दूध, जिला दूध
 (विभाग 7 (B) क्षेत्र)
 नगर पंचायत दूध और पोस्ट-ऑफिस

M/S CHIRPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD. पंच-आगत कोषीय विकास क्षेत्र नया
 हाल रोपता अंतरी रोड, आंधार, आंध्रप्रदेश।

विषय - राजस्थान नू-राज्य अधिनियम, 1996 की धारा 30-क के अन्तर्गत भूमि पुनः
 पर-कृषि प्रयोजन को उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु।

आदेश

दिनांक 17/11/2024

नाम के संबंधित तथ्य निम्नानुसार है

- (1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान नू-राज्य अधिनियम, 1996 की धारा 30-क के अन्तर्गत
 निम्नलिखित भूमि का अकृषि (औद्योगिक) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने में सफल
 आवेदन किया है -

तहसील और जिले का नाम	राजस्थान प्रांत का नाम	खसरा नं. व क्षेत्र
दूध-दूध	घांस दूध	खसरा नं. 1697 रकबा 0.2900 हेक्टर (अर्थात 2900 वर्गमीटर)

- (2) यह कि आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम जमावदी की प्रति सहाय्य करवा अनुज्ञा
 सहाय्य रूप से अनुपस्थित क्षतिपूर्ति कंधार और सहाय्य की नू-कृषि अधिनियम, 1996
 सर्वसंग नकसा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/अनुज्ञा का परीक्षण कर देखा है
 मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय अधिकारी की सहाय्य भी परीक्षण
 कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का पर-कृषि प्रयोजन को लिए अधिकतम
 उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम का अनुज्ञा है और आवेदक ने अधिनियम की
 धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञा हेतु भूमि पर अधिनियम
 अधिनियम निर्धारित करके भूमि का अकृषि (औद्योगिक) प्रयोजन के लिए उपयोग करते हुए
 अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

कार्यालय तहसीलदार दूध जिला दूध
 नं. 10/2024/31
 पृष्ठ- 33

मूल की तहसीलदार के पास है कि तहसीलदार को
 कार्यवाही करें।
 तहसीलदार
 जिला दूध

(3) अतः अब इसका प्रश्न अतीत विषय बनता है कि इसका तालिका के अनुसार प्राप्त हुई भूमि का दूध मिला दूध के राजस्व खसरी नं. 1057 इकाई 12960 हेक्टेयर (अर्थात् 2900 गाँवों की भूमि सम्पूर्ण) के अधीनस्थ अधिकारी को जहाँ भूमि का अंश (अधिकांश) प्रमाण के लिए उपयुक्त करण को निर्धारित किया जायेगा और इस आदेश को जारी कर के अतः भूमि का दूध मिला दूध के राजस्व को आदेशक, सामान्य द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, इसमें शामिल अधिकारों पर अन्य विधि विनियमों का पालन के अनुसार आदेशक के लिए प्राप्त अधिकारों के अधीनस्थ बना दिया जाता है।

(4) यह कि इन विनियमों के अधीन स्थित और स्थानीय अधिकारियों द्वारा सुरक्षित विधि से अधिलेखित निवासी और गाँवों की आवश्यकता द्वारा जलदा की जायेगी।

यह अतः अधीनस्थ अधिकारों के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन अन्य विनियम 27/27/2014 के तहत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

नगर परिषद दूध

नं. 231/2014

दिनांक 25/01/2014

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अवगत की जाती है:-

1. सचिव, मुख्य नगर परिषद, स्थानीय प्राधिकरण दूध।
2. तहसीलदार, दूध तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामांकन करने और इस आदेश को 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों को जलदा प्रतिक्रिया देने के लिए।
3. सम्बन्धित खाताधार M/S CHIRIPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD.

प्राधिकृत अधिकारी

नगर परिषद दूध

कार्यालय नगर परिषद, दूदू जिला-दूदू (राज.)

क्रमांक / नं. / 2023-24 / 3078-01

दिनांक - 07.07.2024

-आदेश-

M/s CHIRPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD.

द्विस्त-पूर्व जालि- (N.A.) सा शालि कॉर्पोरेट शालि

सीरा रुधा हाल बांगल अबली रोड बांगल बहमताबाद।

विषय - औद्योगिक प्रयोजनां संपादन प्रयोजन शालि।

प्रयोग - आपका आदेश दिनांक 05.01.2024 को कम से।

उपरोक्त विषय एवं प्रयोग पर मैं लेख में लिखे हैं कि आप द्वारा राजस्व भाग दूदू जिले के अंतर्गत दूदू तहसील दूदू जिला दूदू के खसरा संख्या 1657 इकाय 0.2900 हेक्टर (2900 वर्गमीटर) किस्म सी.मु. भूजल के औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संपादन करा गया है। तहसील दूदू की शालि अनुसार आपके पर भूजल नहीं है। अतः आप आदेश अनुसार उक्त खसरा के औद्योगिक संपादन प्रयोजन स्वीकृति प्रदान की जाती है। भविष्य में नगर परिषद सुधार समिति संचालित होने पर पंचायती मिरतारिता को पट्टा जारी कर दिया जायगा।

आदेश है।

शालि कर्तारिया
सायबत
नगर परिषद दूदू

शालि
शालि

शालि
नगर परिषद दूदू

कार्यालय नगर परिषद, दूदू जिला-दूदू (राज.)

क्रमांक / न.प.दू. / 2023-24 / 5618-01

दिनांक 07.02.2024

-:आदेश:-

M/s CHIRIPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD,
हिस्सा पूर्ण जाति-(N.A.) सा शान्ति कॉर्पोरेट हाउस
हीरा रूपा हाल बोपाल अंबली रोड बोपाल, अहमदाबाद

विषय-औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपरिवर्तन करवाने बाबत।
प्रसंग-आपका आवेदन दिनांक 30.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र में लेख है कि आप द्वारा राजस्व दूदू पटवार मण्डल दूदू तहसील-दूदू जिला दूदू के खसरा संख्या 1657 रकबा 0.2900 हैक्टेयर (2900 वर्गमीटर) किस्म में मु. पाल के औद्योगिक प्रयोजनार्थ के सपरिवर्तन चाहा गया है तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट अनुसार मौके पर पाल नहीं है। अतएव प्राप्त आवेदन अनुसार उक्त खसरा की औद्योगिक संपरिवर्तन बाबत स्वीकृति प्रदान की जाती है भविष्य में नगर परिषद सुचारू रूप से संचालित होने पर पत्रावली निस्तारित कर पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

सूचित रहे।

(शिकेश कांकरिया)
आयुक्त नगर परिषद,
दूदू

प्रारूप 11
(नियम 7 (1) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर परिषद दूढ़, जिला दूढ़

मामला संख्या-01 और वर्ष 2024
आवेदक के ब्योरे

M/s CHIRIPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD, पता शांति कॉपरेट
हाउस

हीरा रूपा हाल बोपाल अंबली रोड बोपाल, अहमदाबाद

विषय-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क के अधीन
कृषि भूमि गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु

आदेश

दिनांक 07/02/2024

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

- (1) उपर नामित आवेदक से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क निम्नलिखित भूमि का अकृषि (औद्योगिक) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं. व क्षे.
दूढ़- दूढ़	ग्राम दूढ़	खसरा नंबर 1657 रकबा 0.2900 हेक्टेयर (अर्थात 2900 वर्गमीटर)

- (2) यह कि आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथ पत्र की-मैप, अभिन्यास योजना सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट परीक्षण कर लिया गया है। मेरी यह राय है कि आवंटित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और उद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिनियम निर्धारित करके भूमि का

अकृषि (औद्योगिक) प्रायोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उक्त तालिका के अनुसार ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला दूदू के राजस्व खसरा नंबर 1657 रकबा 0.2900 हेक्टेयर (अर्थात् 2900 वर्गमीटर) भूमि सम्पूर्ण के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का अकृषि (औद्योगिक) प्रायोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्धारित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि का आवेदन/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त स्थानीय प्राधिकारों पर लागू विधि, नियमों व उपविधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जावेगा।
- (5) यह कि इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज दिनांक 07.02.2024 पर पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर परिषद, दूदू

सं. 90A-02-04

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गई—

1. सचिव/मुख्य नगर परिषद, स्थानीय प्राधिकरण दूदू
2. तहसीलदार, दूदू तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए
3. संबंधित खातेदार M/s CHIRIPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD,

नामान्तरण प्रपत्र (P-21)
पटवारीद्वारा द्वारा संशोधित दिनांक : 7/3/2024 12:00:00 AM

वर्ष	पटवारी नाम	पु. सं. दि. का. नं.	राजस्व नं.	वि. नं.
2029	1657	0.2900	मै नु. माल	1.04
2029	8678/8669	0.0450	बनड	0.09
2029	8679/8669	0.0225	बनड	0.05
2029	8681/2216	0.3450	बनड	1.04
2029	8683/2217	0.0984	बनड	0.02
2029	8685/8670	0.0725	बनड	0.18
कुल वर्ष : 2029	कुल खसरे : 6	कुल क्षेत्रफल : 0.7834	कुल कायदाकार : 1	

खातों का विवरण:-

वर्ष	खसरा	क्षेत्रफल	कायदाकार
2029	6	0.7834	1
2025	1	0.2900	1

पटवारी की रिपोर्ट : श्रीमानजी मुताबिक रूपान्तरण आदेश के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

पटवारी का नाम PRAMILA CHOUDHARY
दिनांक 03-07-2024 15:35:58

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट :
approved as per patwari report
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम MADAN PARMAR
दिनांक 7/5/2024 11:23:36 AM



https://apnakhata.rajasthan.gov.in//P21_qr.aspx?usn=91142535835110114



Apnakhata, L...
hata.rajasthan.gov.in

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(लेखित नियम 153 ए)ग्राम का नाम :- दुह
पटवार हल्का :- दुह, ए
भू.अभि.नि. :- दुह
तहसील :- दुह
जिला :- जयपुरसंवत् :- 2071 - 2074
भूमि धारक का नाम :- राज,सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हेक्टेयर
खाला संख्या नया :- 1436
खाला संख्या पुराना :- 1130

कायदाकार का नाम:-

सन्दीप छाबड़ा संजय छाबड़ा पि मोतीलाल जैन नि PNB -शक्तिरामचन्द्र मार्य सी स्कीम जयपुर

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संपन्न व दिनांक	टिप्पणी
1657	0.2900	मै.सु. घात	0.2900	0.0000		
1658	2.2000	तालाबी 2	2.2000	15.4000		
2215	1.9000	बाराणी 3	1.9000	5.7000		
2216	3.7600	बाराणी 3	3.7600	11.2800		
2218	0.4000	बंजड़	0.4000	0.8000		
कुल खसरे - 5	8.5500		8.5500	33.18		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

मकल जारी करने की तिथि :- 19-Jul-2024

NIC

Print

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड जयपुर

क्रमांक 1769


दिनांक 13/8/24

श्री कमलेश रोज
361, रोज विला, टेगोर नगर,
अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान, 302021

विषय:-- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री कमलेश रोज का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.24 की फोटो प्रति के अनुसार बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री कमलेश रोज, 361, रोज विला, टेगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान, 302021 का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2024 का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

1. छापरवाडा बांध में भराव के मुख्य स्रोत नदी नालों के दस्तावेज संलग्न है। (ऐनेक्सर - 1)
2. इस प्रकार की सूचना के दस्तावेज कार्यालय सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड, दूदू में संधारित नहीं है।
3. बिन्दु संख्या 02 के अनुसार
4. अतिक्रमण संबंधित जारी किये गये नोटिसों की प्रतिलिपि संलग्न है। (ऐनेक्सर - 2)
5. बिन्दु संख्या 02 के अनुसार
6. नहर नालियों की तत्कालीन जमाबंदी कार्यालय सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड, दूदू में संधारित नहीं है। तत्कालीन नक्शे बड़े आकार में होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। अतः कार्यालय जल संसाधन उपखण्ड, दूदू में उपस्थित होकर नहर, नालियों के तत्कालीन नक्शे का अवलोकन कर सकते हैं।
7. आवक नालियों की वर्तमान जमाबंदी, खसरा एवं राजस्व नक्शे कार्यालय जल संसाधन उपखण्ड, दूदू में संधारित नहीं है।
8. नाली की जमाबंदी, खसरा नं0 व राजस्व नक्शा संबंधित सूचना के दस्तावेज कार्यालय जल संसाधन उपखण्ड, दूदू में संधारित नहीं है।
9. नाली की जमाबंदी, खसरा नं0 व राजस्व नक्शा संबंधित सूचना के दस्तावेज कार्यालय जल संसाधन उपखण्ड, दूदू में संधारित नहीं है।
10. आवक नहर की जमीन पर अतिक्रमण हेतु जारी किये गये नोटिसों की प्रतिलिपि संलग्न है। (ऐनेक्सर - 2)
11. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22)प्रसु/सूअ.प्र/06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 03 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं है।
12. आवक नालियों में अतिक्रमण हेतु जारी किये गये नोटिसों की प्रतिलिपि संलग्न है। (ऐनेक्सर - 2)
13. बिन्दु संख्या 11 के अनुसार
14. बिन्दु संख्या 11 के अनुसार


(अनिल कुमार थालोर)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अधिशाषी अभियंता
जल संसाधन खण्ड, जयपुर

~~Annexure 2~~

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूद
 SP - CHHAPRAWAHA-26 दिनांक 12/09/2022

श्री राम जी गुर्जर
 ग्राम गुड्डा

विषय: फाल्गुन नहर की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने कायदा।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुड्डा ग्राम पंचायत खुड्डाला तहसील मौजमाबाद में नहर फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहर/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही फाल्गुन फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुँचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान झूनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

फोटो प्रति सत्यापित


 सहायक अभियंता
 जल संसाधन उपखण्ड
 दूद

कार्यक्रम - साधारण अतिरिक्त जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूद
10/09/2022

श्री जी गुर्जर, श्री जी गुर्जर, श्री जी गुर्जर
ग्राम गुड्डा

कासख

विभागीय नहर में अतिक्रमण करने वाला
फीडर

उपरोक्त विवरण में से यह है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के
दौर में यह कि ग्राम गुड्डा - ग्राम पंचायत गुड्डा तहसील
में कासख फीडर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है
जिससे Service road (फुटपाथ) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त
नहर/नहर की मृदा को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय
सम्पत्ति का हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक
अपराध कृत्य है।

अतः ही कासख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित
हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ
तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या
1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर
आप नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा
किए गए क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान
संसद एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त
जवाबदारी आप स्वयं की होगी।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूद

काशीलय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
 नं. 27-CHHANNAPWARA-27-12-2022/03/2022

श्री श्री-118

ग्राम खुडिगाला

विषय काशीलय

काय की विभागीय नहर से अतिक्रमण करने काका

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के
 बाद पाया गया कि ग्राम खुडिगाला ग्राम पंचायत खुडिगाला तहसील
काशीलय में काशीलय फीड नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है
 के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त
 सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय
 को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक
 अपराधिक कृत्य है।

साथ ही काशीलय फीड नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित
 हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ
 पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या
 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर
 बाध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा
 पहुँचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान
 इनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
 जल संसाधन उपखण्ड
 दूदू

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
दिनांक

अ.सं. 3P.46-
12/10/2022

श्री. इ.प्र.रा.प. 3/0 त्रिवेणी जी.प्र.प.प.

..... 51/9/24/

विषय: 51/9/24/ की 52 संस की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम 51/9/24/ ग्राम पंचायत 51/9/24/ तहसील 51/9/24/ में 51/9/24/ नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तस्करी/समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही 51/9/24/ की 52 नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान एनज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सहायक अभियंता

सूचना का अधिकार

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूदू

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड इंदौर
क्रमांक SP-46/12/11/2022 दिनांक

श्री गोपीचंद जी, अग्रज समूह, ग्राम, ~~...~~
निवासी सागरदा

विषय सागरदा पीएस नहर की विभागीय नहर से अतिक्रमण करने संबंधित।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निर्माण के
दौर में पाया गया कि ग्राम सागरदा ग्राम पंचायत सागरदा तहसील
सागरदा में सागरदा पीएस नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है
नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से लस्कन्दी/ समतल कर आपने उक्त
नहर/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय
सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक
अप्रतिष्ठित कृत्य है।

साथ ही सागरदा पीएस नहर पर अतिक्रमण करने से बचाव क्षेत्र प्रभावित
कर रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ
तर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या
153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर
नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बचाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा
प्रदायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान
इन एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त
प्रामदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

आपका मित्र
[Signature]

फोटो प्रति सत्यापित

[Signature]
सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
इंदौर

[Signature]
[Text]

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू,
दिनांक

क्र. 43/17/10/2022

श्री अजरंग जी मजरा जी 9/0 रामलीला नो. 3/2022
निवासी खीरपुर

विषय खीरपुर नहर की विभागीय नहर से अतिक्रमण करने का।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निष्काशन के दौरान पाया गया कि ग्राम खीरपुर ग्राम पंचायत खीरपुर तहसील खीरपुर में खीरपुर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से ~~तसब्दी~~ समतल कर आपने उका नहरी/सरकारी मूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही खीरपुर नहर पर अतिक्रमण करने से वहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / वहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरुस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान इन्ज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

प्राप्त दिनांक 21/11/22

फोटो प्रति सत्यापित


सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूदू

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूद
दिनांक

क्र. ५७
१३/१०/२०२२

श्री. रजत शर्मा

२१/१२/२१

विषय अतिक्रमण श्रीहर बंसनी विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने वाकत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम २१/१२/२१ ग्राम पंचायत २१/१२/२१ तहसील २१/१२/२१ में अतिक्रमण नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से अतिक्रमण समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही अतिक्रमण नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान ड्रिनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

प्रति प्राप्त
रजि. नं. ५७
१३/१०/२२

फोटो प्रति सत्यापित

**सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूद**

(Handwritten signature)
१३/१०/२२

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूद
12-11-2000

श्री मोहम, रामजीलाल, मणजी 9/0 रामजीलाल
निवासी 511555/

दिनांक 02/10/2000 बंस-की विभागीय नहर से अतिक्रमण करने का पत्र।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम 511555/4 ग्राम पंचायत 511555/4 तहसील ... में 02/10/2000 नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से लम्बवर्ती/ समतल कर आपने उक्त नहरी/ सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही 02/10/2000 नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान वनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान ड्रिनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

02/10/2000

फोटो प्रति सत्यापित

Handwritten signature and date

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूद

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
क्रमांक Sp. 44/17/10/2022

श्री. ज्योतिराम, रोहतास, जेठ, बोधु 5/0 27/10/2022
प्रमाणित

विषय: 27/10/22 की 17/10/22 बांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम 27/10/22 ग्राम पंचायत 27/10/22 तहसील 27/10/22 में 27/10/22 नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तत्स्वन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में गिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही 27/10/22 नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान झूनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

प्राप्त किया

27/10/22

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूदू

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
क्रमांक 58-06 दिनांक 12/10/2000

श्री रामरतन बुकन S/O नन्दा बुकन 11, जं
ग्राम - गुइइ

विषय कांलग फीडर कांलग बांध की विगागीय नहर से अतिक्रमण करने कायत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुइइ ग्राम पंचायत गुइइ तहसील मौजमाबाद में कांलग फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटका) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/ सरकारी गूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/ क्षति/ अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कांलग फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान झूनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

धरेशज

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूदू

दिनांक 11/10/2000

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड पूर
कमान ११०८
दिनांक 19/10/2020

श्री रामू बुकन S/O नन्दा बुकन गुर्जर
ग्राम - गुडडा

विषय - कालख कीडर, कालख गांव की विभागीय नहर से अतिक्रमण करने मामले।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुडडा..... ग्राम पंचायत गुडडा तारीक में कालख कीडर... में कालख कीडर नहर पर आप द्वारा अकेले अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटखा) को अकेले तरीके से तारबन्धी/ समतल कर आपने जमीन नहरी/सरकारी भूमि को अकेले तरीके से अपने खेत में गिला दिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/दाहि/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख कीडर... नहर पर अतिक्रमण करने से बचाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अखुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अचहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के पारिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बाघ/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बचाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचाये दाहि को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपको विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। सूचना का अधिकार

अबन्ना

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूदू

श्री रामू बुकन
S/O नन्दा बुकन गुर्जर
ग्राम - गुडडा

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
क्रमांक SP-04 दिनांक: 13/10/2022

श्री रूप जी बुकन 2/0 नन्दा बुकन गुर्जर

ग्राम - गुडडा

विषय - कालख फीडर का कालख बांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुडडा ग्राम पंचायत खुशियाला तहसील सौजमाबाद में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान ड्रिनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

Ranvij

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूदू

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूद
दिनांक 17/10/2012

क्रमांक SP-02

श्री रामस्वरूप S/O रामरतन गुजर
ग्राम - गुट्टा

विषय:- कालख फ्रीडर, कालख बांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने कायत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुट्टा..... ग्राम पंचायत सुडियाका तहसील मौजमाबादे में कालख फ्रीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फ्रीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पट्ट्यायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान झूनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
क्रमांक : 51-01 दिनांक 17/10/2022

श्री धासी बागरिया S/O शता बागरिया
ग्राम - गुडरा

विषय - कालख फीडर, कालख बांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने का दस्तावेज।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुडरा ग्राम पंचायत खुडियाल तहसील में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान ड्रनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूदू

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
दिनांक: 17/10/2022
क्रमांक: SP-2

श्री फाल्गु बागरिया s/o सूरता बागरिया
ग्राम गुडडा

विषय:- फाल्गु फील्ड, कातवाघ की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुडडा ग्राम पंचायत बुडियाला तहसील : सोनमाबाद में फाल्गु फील्ड नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पेटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही फाल्गु फील्ड नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बाघ/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान ड्रिनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। सूचना का अधिकार

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूदू

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
फोन नं. - 586

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
 दिनांक: 09/09/2022

श्री हीराराम जी, रक्षाराम जी पुगा
 खुडियाला

पद - कातरब
 वाघ की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत।
 फीडर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम खुडियाला ग्राम पंचायत खुडियाला तहसील :..... में कातरब फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमि को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पत्ति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

स्मरण ही कातरब फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशों की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर वाघ/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पशुचारी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचना का अधिकार

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
 जल संसाधन उपखण्ड
 दूदू

प्रेषित,

सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अर्न्तगत

लोकसूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय

कार्यालय अधिशाषी अभियंता

जल संशाधन विभाग खण्ड, जयपुर

रेल्वे स्टेशन के पास, सदर थाना, जयपुर

राजस्थान - 302016

<IFACK ON WWW.INDIAPOST.GOV.IN>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>
ER393252245IN IVR:6982393252245
SP BANI PARK S.O <302016>
Counter No:1,28/06/2024,11:05
To:LOK SUCHAN OFFICE,JAIPUR
PIN:302016, Bani Park S.O
From:KAMLESH ROJ,JAIPUR
Wt:20gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track your delivery with India Post>

1. आवेदक का पूरा नाम :- कमलेश रोज
2. पता :- 361,रोज विला,टेगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर,
राजस्थान, 302021

3. सूचना की विशिष्टियाँ :-

विभाग/कार्यालय का नाम जिससे सूचना सम्बन्धित है:-

सूचना की प्रकृति :-

अवधि :-

सूचनाओं का विवरण:

1. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के भराव में कोन कोनसे नदी, नाले व अन्य जल स्रोतों से पानी की आवक रही है, कृपया मय दस्तावेज जानकारी देवे।
2. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के भराव में कोन कोनसे भराव आवक स्रोत बंद हुवे है उक्त के बारे में जानकारी देवे।
3. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के भराव के जल स्रोतों के खसरा नंबर मय नक्शा जमाबंदी उपलब्ध करावे।
4. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के कोन कोनसे जल भराव स्रोतों को अतिक्रमण के कारण बंद किया गया, सूचना देवे व उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई, मय दस्तावेज जानकारी देवे।
5. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के इन जल स्रोतों पर बिना सिंचाई विभाग की पर्मिशन के आवक नाली नहर के रास्तों में पानी को रोकने के लिए अनिकट, दीवार व डोलियाँ बनाई गई, उक्त के बारे सूचना प्रदान करे।
6. वर्ष 2000 तक कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक के लिए कितनी नालिया (नहर) थी, तत्कालीन सम्पूर्ण आवक नालियों के तत्कालीन जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नक्शा मानचित्र उपलब्ध करावे ।
7. वर्तमान 2024 में कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक के लिए कितनी नालिया(नहर) हैं ,सम्पूर्ण आवक नालियों के वर्तमान जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नक्शा मानचित्र उपलब्ध करावे ।
8. कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक (नहर) नाली नंबर 12 की सम्पूर्ण जानकारी जमाबंदी, खसरा नंबर, खसरा किसके नाम पर है एवं नक्शा मानचित्र उपलब्ध करावे ।
9. कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक (नहर) नाली नंबर 12 में सावरदा से चांदरमूल तक नाली की वर्तमान स्थिति की सम्पूर्ण जानकारी जमाबंदी, खसरा नंबर, खसरा किसके नाम पर है एवं नक्शा मानचित्र उपलब्ध करावे।
10. वर्ष 2000 से लेके 2024 तक प्रतिवर्ष कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक नहर की जमीन पर कितने अतिक्रमण के मामले उत्पन हुवे और ऐसे कितने अतिक्रमण के मामलों में विभाग द्वारा कार्यवाही

की गई, मुकदमे दर्ज किये गये, विभाग द्वारा किए ऐसे मुकदमों की FIR एवं अंतिम रिपोर्ट मय सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करावे ।

11. वर्ष 2000 के बाद में कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक की कितनी नई नालिया बनाई गई ओर वर्ष 2000 के बाद में कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक नहर में क्या नए परिवर्तन किए गए उक्त के बारे में जानकारी प्रदान करे एवं अगर परिवर्तन किए हैं तो सिंचाई विभाग से स्वीकृति ली गई थी या नहीं, उक्त के बारे में जानकारी प्रदान करे ।

12. वर्तमान में कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक की कितनी नालियों में अतिक्रमण की कार्यवाही विचाराधीन है मय दस्तावेज जानकारी उपलब्ध करावे ।

13. वर्ष 2000 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष में छापरवाड़ा बांध में जल भराव (लीटर) कितना रहा है, वर्ष 2000 से आज तक 2024 तक प्रत्येक वर्ष की सूचना उपलब्ध करवाए ।

14. वर्ष 2000 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष में छापरवाड़ा बांध से प्रति वर्ष कितने गाँवों व क्षेत्रों में पानी सप्लाई किया है, वर्ष 2000 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष की सूचना उपलब्ध करवाए ।

1. आवेदन शुल्क

पोस्टल ऑर्डर 10/-रुपये, नंबर :-..... दिनांक.....

2. रिकार्ड का निरीक्षण हेतु शुल्क :-.....

3. फोटो प्रति शुल्क :-

स्थान : जयपुर

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अर्न्तगत
प्रेषिति,
लोकसूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय

कार्यालय सहायक अभियंता
उपखण्ड, दुदू
छापरवाड़ा बांध, दुदू
राजस्थान - 303008



1. आवेदक का पूरा नाम :- कमलेश रोज
2. पता :- 361,रोज विला,टेगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर,
राजस्थान, 302021
3. सूचना की विशिष्टियाँ :-

विभाग/कार्यालय का नाम जिससे सूचना सम्बन्धित है:-

सूचना की प्रकृति :-

अवधि :-

सूचनाओं का विवरण:

1. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के भराव में कोन कोनसे नदी, नाले व अन्य जल स्रोतों से पानी की आवक रही है, कृपया मय दस्तावेज जानकारी देवे।
2. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के भराव में कोन कोनसे भराव आवक स्रोत बंद हुवे हैं उक्त के बारे में जानकारी देवे।
3. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के भराव के जल स्रोतों के खसरा नंबर मय नक्शा जमाबंदी उपलब्ध करावे।
4. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के कोन कोनसे जल भराव स्रोतों को अतिक्रमण के कारण बंद किया गया, सूचना देवे व उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई, मय दस्तावेज जानकारी देवे।
5. वर्ष 2000 से 2024 तक छापरवाड़ा बांध के इन जल स्रोतों पर बिना सिंचाई विभाग की पर्मिशन के आवक नाली नहर के रास्तों में पानी को रोकने के लिए अनिकट, दीवार व डोलियाँ बनाई गई, उक्त के बारे सूचना प्रदान करे।
6. वर्ष 2000 तक कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक के लिए कितनी नालिया (नहर) थी, तत्कालीन सम्पूर्ण आवक नालियों के तत्कालीन जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नक्शा मानचित्र उपलब्ध करावे ।
7. वर्तमान 2024 में कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक के लिए कितनी नालिया(नहर) हैं ,सम्पूर्ण आवक नालियों के वर्तमान जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नक्शा मानचित्र उपलब्ध करावे ।
8. कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक (नहर) नाली नंबर 12 की सम्पूर्ण जानकारी जमाबंदी, खसरा नंबर, खसरा किसके नाम पर है एवं नक्शा मानचित्र उपलब्ध करावे ।
9. कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक (नहर) नाली नंबर 12 में सावरदा से चांदरमूल तक नाली की वर्तमान स्थिति की सम्पूर्ण जानकारी जमाबंदी, खसरा नंबर, खसरा किसके नाम पर है एवं नक्शा मानचित्र उपलब्ध करावे।
10. वर्ष 2000 से लेके 2024 तक प्रतिवर्ष कालख बांध से छापरवाड़ा बांध की आवक नहर की जमीन पर कितने अतिक्रमण के मामले उत्पन्न हुवे ओर ऐसे कितने अतिक्रमण के मामलों में विभाग द्वारा कार्यवाही

की गई, मुकदमे दर्ज किये गये, विभाग द्वारा किए ऐसे मुकदमों की FIR एवं अंतिम रिपोर्ट मय सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करावे ।

11. वर्ष 2000 के बाद में कालख बांध से छपरवाड़ा बांध की आवक की कितनी नई नालिया बनाई गई और वर्ष 2000 के बाद में कालख बांध से छपरवाड़ा बांध की आवक नहर में क्या नए परिवर्तन किए गए उक्त के बारे में जानकारी प्रदान करे एवं अगर परिवर्तन किए है तो सिंचाई विभाग से स्वीकृति ली गई थी या नहीं, उक्त के बारे में जानकारी प्रदान करे ।

12. वर्तमान में कालख बांध से छपरवाड़ा बांध की आवक की कितनी नालियों में अतिक्रमण की कार्यवाही विचाराधीन है मय दस्तावेज जानकारी उपलब्ध करावे ।

13. वर्ष 2000 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष में छपरवाड़ा बांध में जल भराव (लीटर) कितना रहा है, वर्ष 2000 से आज तक 2024 तक प्रत्येक वर्ष की सूचना उपलब्ध करवाए ।

14. वर्ष 2000 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष में छपरवाड़ा बांध से प्रति वर्ष कितने गाँवों व क्षेत्रों में पानी सप्लाई किया है, वर्ष 2000 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष की सूचना उपलब्ध करवाए ।

1. आवेदन शुल्क

पोस्टल ऑर्डर 10/-रूपये, नंबर :-..... दिनांक.....

2. रिकार्ड का निरीक्षण हेतु शुल्क :-.....

3. फोटो प्रति शुल्क :-

स्थान : जयपुर

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

Annexure - 25

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 बंद प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): जयपुर शहीन

P.S. (थाना): डूडू

Year (वर्ष): 2021

FIR No (क्र.सं.): 0094

Date & Time of FIR (एकमात्र संदिग्ध के तहत): 13/02/2021

Date & Time of FIR (एकमात्र संदिग्ध के तहत): 13/02/2021

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनिन्द्य)	Sections (अधिनियम)
1	शा ६ नं 1860	379
2	शा ६ नं 1860	423
3	सार्वजनिक संपत्ति गुरुगान दिवस का अधिनियम, 1934	3

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की)

1. Day (दिन): दरमियावी दिन

Date From (दिनांक से): 13/02/2021

Date To (दिनांक तक): 13/02/2021

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00 बजे

Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 17/02/2021

Date (दिनांक): 17/02/2021

(c) General Diary Reference (रोजानामा का संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 0094

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 0094

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा पूर्व, 10 किमी)

Dist. (दूरी):

(b) Address (पता): SANWRDA MODE

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District (ज़िला):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनादाता):

(a) Name (नाम): ANIL KUMAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMJEET SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष): 1989

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारतीय

(e) UID No (यूआईडी नं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट नं.):

Date of Issue (आरी करने की तिथि):

Place of Issue (आरी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN Card)

S.No. (क्र.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
--------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HALL AEN WRD DUDU, डूडू, जयपुर शहीन

सूचना का अधिकार

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
डूडू

2	स्थायी पता	ATHWAS, फतेहपुर सदर, सीकर, राजस्थान, भारत
---	------------	---

(1) Phone number (दूरभाष नं.):

Mobile (मोबाइल नं.) 91-9910980128

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.)	Name (नाम)	Alias(उपनाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का)	Address (पता)
1	अज्ञात			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता/ सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के)

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नकली करें):

S.No.	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Type of Property (सम्पत्ती के)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (₹ में))
-------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
-----------------	-----------------------------------

12. First information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्या (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ तयरी करें)):

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड दूध क्रमांक 107-109 दिनांक 15/02/2021 राजधिकाारी महोदय पुलिस थाना दूध विषय:- ऐतिहासिक धारपरवाडा बांध कि मुख्य आवक नहर (कॉलच फिटर) को सम्पूर्ण रूप से नष्ट (कट्टे, पकड़े निर्माण एवं पाल) कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने एवं राज सम्पत्ति कि चोरी करने तथा आसपास क्षेत्र के निवासी लोगों का जीवन-धरते में डालनेवाले अतिक्रमियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने वास्तुमहोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम सावरदा के अंतरा नम्बर 3843/3638 से होकर ऐतिहासिक धारपरवाडा बांध की मुख्य आवक नहर गुजरती है (एन एच 8 के पास) जो कि ऐतिहासिक कॉलच बांध एवं धारपरवाडा बांध को जोड़ती है। साथ ही इस नहर में कॉलच बांध से खोला जाने वाला पानी एवं उपरी हिस्से के समस्त गांव का बरसाती पानी धारपरवाडा बांध में आता है जिससे लगभग 4 तहसीलों के 52 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है उक्त दोनों बांधों एवं इनकी समस्त नहरों का निर्माण राजस्व से कियासत काल में किया गया था। उपरोक्त वर्णित खसरे में दिनांक 13.02.2021 एवं 14.02.2021 कि रात्री को धारपरवाडा बांध कि मुख्य आवक नहर (कॉलच फिटर) को सम्पूर्ण रूप से (कट्टे, पकड़े एवं नहर कि पाल) के साथ ही धारपरवाडा बांध कि मुख्य आवक नहर को बर्णित खसरे में नहर की पाल को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है नहर कि पाल जो राज्य सरकार द्वारा निर्मित है कि सिटी चोरी कर कार्तकार ने अपने खेत में बिछा कर नहर कि बहाव क्षेत्र को समतल कर नष्ट कर दिया गया है नहर कि पाल पर बने हुये पकड़े निर्माण को चोकर मित्रिंग के पथों कि भी चोरी कर राज सम्पत्ति को हानी पहुंचाई है उक्त वर्णित भूमि तथा इसके आसपास के भी के पर नहर को पूर्ण रूप से नष्ट करने के कारण नहर में आने वाला कर्षी जल का बहाव नष्ट हो गया है जिससे कॉलच फिटर के द्वारा धारपरवाडा बांध में आने वाले पानी कि आवक खत्म हो जायेगी। इसका सीधा प्रभाव भोजमावाडा फार्मी दूध मासपुरा तहसीली को 52 गांवों कि लगभग 12 हजार हेक्टर कि सिंचित भूमि के कार्तकारों पर प्रदेगा। बांध में पानी की आवक कम होने से उक्त वर्णित सिंचित क्षेत्र के कार्तकारों को सिंचाई हेतु मित्रने वाले पानी कि मात्रा में भारी तुकसान होगा इससे धारपरवाडा बांध की बनाने का उद्देश्य हिचमास होता है। (2) यह भी उल्लेख है कि नहर को नष्ट करने से उक्त नहर के द्वारा बांध में आने वाला पानी का बहाव मार्ग परिवर्तित होकर आसपास के गांवों में नया बहाव मार्ग बनेगा। जिससे भारी जन हानि होगी साथ ही आसपास के अन्य कार्तकारों कि जमीनों में फटाव लगना निश्चित है अतः आप से अनुरोध है कि राज्य सरकार को भारी धनहानी एवं राजस्व सम्पत्ति तथा आसपास के निवासीयों का जीवन धरते में डालने के साथ ही कानून क्षेत्र के कार्तकारों को भारी तुकसान पहुंचाने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्व सम्पत्ति को तुकसान पहुंचाने, राजस्व सम्पत्ति कि चोरी करने तथा आसपास के गांवों में जनहानी पहुंचाने कि कुचेष्टा रखने वाले, सिंचित क्षेत्र के कार्तकारों को अपत्यस रूप से तुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकि दर्ज कर अविश्व कानूनी कार्यवाही करने का धम करवाये जिससे राजस्व सम्पत्ति का पुनर्बांध के साथ आमजन एवं सिंचित क्षेत्र के कार्तकारों के अधिनार सुरक्षित किये जा सके। एलडी सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड दूध क्रमांक 107-109 दिनांक 15/02/2021 प्रतिनिपी निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तु है 1: भीमात अधिशारी कार्यवाही पुलिस—प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहसीली की अगिज कुमार S/O की रणजीत सिंह जाति जाट उम्र 32 साल R/O हटवासा थाना फतेहपुर जिला सीकर द्वारा सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूध जिला जयपुर के उपस्थित थाना होकर पेश कि जितनी नकल CCTNS कम्प्यूटर में अक्षर स: अक्षर की गई मजदूर रिपोर्ट से सामला अपराध धारा 3 PDPP ACT न 379,427 आरक्ष का दफा में आना प्रमाणित सिद्ध जाति जाट उम्र 32 साल R/O हटवासा थाना फतेहपुर तहसीली थी राजेन्द्र प्रसाद सजनि के जिल्मे की घाती है। प्रतिवा फफआईआर नियमानुसार जारी कर एक प्रति पुलिसगीत को तिशुलक की जायेगी। अधिशारी संख्या CCTNS से प्राप्त होने पर सूचक से अंकित किये जायेंगे। नोट CCTNS से प्राप्त होने पर अभिसंग संख्या अंकित किये जायेंगे।

13. Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की रात्री कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1 Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया);

or (या)

(2 Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम) Rajendra Prasad Rank (पद): महायकउप - निरीक्षक

No(सं.): to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए विवेक दिया गया) 2

(3 Refused investigation due to (जांच के सिंग):

सूचना का अधिकार

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूध

M.C.R. Form No. 1
F.I.R. - 1 (अपराध की सूचना)

किस (के कारण) द्वारा किया था)
13. Transferred to P.S. (पाना):
on point of jurisdiction (की क्षेत्राधिकार के अनुसार स्थानांतरित किया)

स्थान (पाना):

F.I.R. read over to the complainant and a copy given to the complainant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को सामग्री पढ़ाई करवाई गई और एक प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.D.A.C. (म.ट.के.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / छाप)

Signature

Signature of Officer in Charge, Police Station
(आपका प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the Court.
(दस्तावेज को प्रेषण की दिनांक और समय):

Name (नाम): Jogendra Rathore
Rank (पद): I (Inspector)
No. (नं.):

सूचना का अधिकार

सहायक अभियंता
अल संतोषन सर्वखण्ड
सद

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के अन्तर्गत संलग्न)
N.C.R.B./एन सी आर बी

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused (शुद्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण (शरीर / शरीर अंग))
I.F.-1 (एन सी आर बी फॉर्म नं. 1)

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cm.) (उंचाई.मी.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/Peculiarities (विकृतियाँ/विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Hand(s) (हाथ)	Other Mark(s) (अन्य चिह्न)
8	9	10	11	12	13

Language (Dialect) (भाषा / बोली)	Place Of Origin (स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (भस्म हुए का चिह्न)	Leucoderma (सफ़ेद रोग)	Mole (मसूदा)	Scar (दरार)	Tattoo (शरीर शूरा का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता शरीर / शरीर अंग के बारे में कोई एक या अधिक विशेष विवरण देता है।)


सूचना का अधिकार

प्रति सत्यापित


सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड
दूध



 **GPS Map Camera**



Sawarda, Rajasthan, India
P8J5+R7, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.73365°
Long 75.30862°
07/05/24 11:35 AM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
P8J5+R7, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.73365°
Long 75.30862°
07/05/24 11:35 AM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
P8J5+R7, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.733647°
Long 75.308696°
07/05/24 11:43 AM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**



Sawarda, Rajasthan, India
P8J5+R7, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.733673°
Long 75.308558°
07/05/24 11:43 AM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
P8J5+R7, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.7337°
Long 75.308447°
07/05/24 11:43 AM GMT +05:30


Google



 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
P8J5+R7, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.733542°
Long 75.308152°
07/05/24 11:44 AM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
Sawarda NH 8 Bus Stop, MDR85, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.733712°
Long 75.307774°
07/05/24 11:45 AM GMT +05:30






 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
P8M4+HGG, NH 48, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.733585°
Long 75.307013°
07/05/24 11:48 AM GMT +05:30







 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
P8J5+R7, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.732268°
Long 75.308499°
07/05/24 11:51 AM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**



Jaipur, Rajasthan, India
Unnamed Road, Rajasthan 303338, India
Lat 26.74215°
Long 75.337326°
14/08/24 01:10 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**




Jaipur, Rajasthan, India
Unnamed Road, Rajasthan 303338, India
Lat 26.74293°
Long 75.340038°
14/08/24 01:14 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Jaipur, Rajasthan, India
Unnamed Road, Rajasthan 303338, India
Lat 26.743033°
Long 75.340146°
14/08/24 01:15 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Sawarda, Rajasthan, India

P8M4+HGG, NH 48, Sawarda, Rajasthan 303338, India

Lat 26.73365°

Long 75.30715°

14/08/24 01:41 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**




Sawarda, Rajasthan, India
P8M4+HGG, NH 48, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.733611°
Long 75.305995°
14/08/24 01:48 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Sawarda, Rajasthan, India
P8M4+68V, Ajmer-Jaipur Expy, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.733288°
Long 75.30555°
14/08/24 01:49 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
Jodhpur - Jaipur Rd, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.730084°
Long 75.301758°
14/08/24 01:50 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
Jodhpur - Jaipur Rd, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.730084°
Long 75.301758°
14/08/24 01:50 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**




Sawarda, Rajasthan, India
Jodhpur - Jaipur Rd, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.729694°
Long 75.301276°
14/08/24 01:51 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
P7HX+CRF, NH 48, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.72873°
Long 75.300782°
14/08/24 01:54 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**

Sawarda, Rajasthan, India
P7HX+CRF, NH 48, Sawarda, Rajasthan 303338, India
Lat 26.726243°
Long 75.299801°
14/08/24 01:57 PM GMT +05:30



Google





 **GPS Map Camera**


Jaipur, Rajasthan, India
Unnamed Road, Rajasthan 303008, India
Lat 26.709494°
Long 75.309664°
14/08/24 02:17 PM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera
Jaipur, Rajasthan, India
Unnamed Road, Rajasthan 303008, India
Lat 26.709514°
Long 75.309627°
14/08/24 02:23 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**


Gudha Sahaypura, Rajasthan, India

M7RR+J9J, Gudha Sahaypura, Rajasthan 303008, India

Lat 26.694196°

Long 75.290306°

14/08/24 02:37 PM GMT +05:30



Google




 **GPS Map Camera**

Gudha Sahaypura, Rajasthan, India
Baget Gudha Rd, Gudha Sahaypura, Rajasthan 303008, India
Lat 26.689478°
Long 75.286932°
14/08/24 02:58 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**




Gurha Saipura, Rajasthan, India
RJ SH 2, Gurha Saipura, Rajasthan 303008, India
Lat 26.67003°
Long 75.282034°
14/08/24 03:15 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**

Jaipur, Rajasthan, India
Unnamed Road, Rajasthan 303008, India
Lat 26.683466°
Long 75.261578°
14/08/24 03:20 PM GMT +05:30







GPS Map Camera



Khudiyala, Rajasthan, India

M725+CP, Khudiyala, Rajasthan 303008, India

Lat 26.651845°

Long 75.259524°

14/08/24 03:28 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**



Jaipur, Rajasthan, India
Q9GM+QQ8, Ajmer-Jaipur Expy, opp. Marwar Hotel, Jaipur,
Rajasthan 303338, India
Lat 26.77741°
Long 75.384756°
14/08/24 11:38 AM GMT +05:30

Google



 **GPS Map Camera**



Jaipur, Rajasthan, India
Unnamed Road, Rajasthan 303338, India
Lat 26.75769°
Long 75.380761°
14/08/24 11:57 AM GMT +05:30

Google



 **GPS Map Camera**



Jaipur, Rajasthan, India
Unnamed Road, Rajasthan 303338, India
Lat 26.757773°
Long 75.380769°
14/08/24 11:59 AM GMT +05:30

Google



 **GPS Map Camera**



Jaipur, Rajasthan, India
NH-8 - Akhepura, Rajasthan 303338, India
Lat 26.75023°
Long 75.354892°
14/08/24 12:22 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Jaipur, Rajasthan, India
NH-8 - Akhepura, Rajasthan 303338, India
Lat 26.750151°
Long 75.354831°
14/08/24 12:23 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Jaipur, Rajasthan, India
NH-8 - Akhepura, Rajasthan 303338, India
Lat 26.750132°
Long 75.354749°
14/08/24 12:23 PM GMT +05:30






 **GPS Map Camera**



Jaipur, Rajasthan, India
NH-8 - Akhepura, Rajasthan 303338, India
Lat 26.750204°
Long 75.354879°
14/08/24 12:24 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Jaipur, Rajasthan, India
Kanak Vatika, palu khurd, ajmer road, Rajasthan 303338, India
Lat 26.740539°
Long 75.326531°
14/08/24 12:54 PM GMT +05:30





2024.08.14.13:54

105



अनदेखी • हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि के बंजर होने का खतरा, किसानों में आक्रोश गैजी व रामनगर के समीप जल बहाव क्षेत्र में फैक्ट्री संचालकों ने डाली पत्थर की वेस्ट डस्ट

भारकर न्यूज | दूदू

दूदू जिले में चल रही मार्बल कटिंग और पत्थर पिसाई की फैक्ट्रियों से निकलने वाली वेस्ट डस्ट से जिले के मौजमाबाद और दूदू क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर किसानों की खेती की जमीन बंजर होने का खतरा बढ़ गया है। जिला मुख्यालय से महज किलोमीटर की दूरी पर गैजी और रामनगर के समीप और शैलेश्वर महादेव सड़क मार्ग में छापवाड़ा बांध के बहाव क्षेत्र के नाले में फैक्ट्री संचालकों के द्वारा अवैध तरीके से हजारों मैट्रिक टन वेस्ट डस्ट पाउडर डालकर नाले को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। बारिश के समय वेस्ट डस्ट पानी के बहाव के साथ छापवाड़ा बांध तक पहुंच चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, वेस्ट डस्ट पाउडर दूदू के रामनगर के पास संचालित फैक्ट्री संचालकों के द्वारा निस्तारण नहीं करने और जगह-जगह अवैध तरीके से डस्ट के ढेर लगे होने से लोगों को एलर्जी की बीमारियां भी बढ़ रही है। दूसरी ओर किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन भी इस दूषित वेस्ट डस्ट पाउडर की चपट में आने से बंजर होने का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन और उपखंड के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कारवाई नहीं करने से अवैध तरीके से डस्ट नदी नालों, ओर हाईवे किनारे जगह जगह ढेर पड़े होने से जिले की दो पंचायत समिति के 40 ग्राम पंचायतों के लोगों की सेहत पर भी सीधा असर पड़ रहा है।

दूदू जिले की सिंचाई के मुख्य बांध छापवाड़ा का कैचमेंट परिया में जगह-जगह फैक्ट्रियों से निकलने वाली डस्ट पाउडर और केमिकल युक्त पानी से अब बांध का पानी भी दूषित होने लगा है। भविष्य में किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर होने का भविष्य में भी बड़ा कारण बनने की संभावना नजर आ



दूदू। छापवाड़ा बांध के बहाव क्षेत्र में नाले को अवरूढ़ कर डाली गई वेस्ट डस्ट पाउडर।


रही है, कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर यूं ही पानी में पत्थर की पिसाई की डस्ट और केमिकल दूषित पानी से फसलों को भी नुकसान पहुंचाने की संभावना है।

दूदू जिले में पत्थर चिड़ाई और पत्थर पीसने वाली फैक्ट्री से निकलने वाली डस्ट पाउडर को नदी नालों में डाला जा रहा है, तो गलत है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, बदस्ता नहीं किया जायेगा, ऐसे फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ जांच करवाई जायेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गोपाल परिहार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दूदू, दूदू तहसीलदार को दोषित फैक्ट्री संचालकों की जांच पड़ताल के निर्देश दिए थे। अब फैक्ट्री संचालकों को नोटिस जारी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

योगेश सिंह, एसडीएम दूदू

फागी में सोने के वर्क व 151 किलो फूलों से सजी नीलकण्ठ महादेव की झांकी



नीलकण्ठ महादेव को सोने के वर्क लगाया एवं 151 किलो के फूलों से फूल बंगला की विशेष झांकी सजाई गई। भाद्रपद कृष्ण पक्ष मंगलवार को नीलकण्ठ महादेव मंदिर सेवा समिति के द्वारा संकल्पित अखण्ड रामायण पाठ की पूर्णबृति पर विशाल भंडारे के आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस धार्मिक आयोजन को हर वर्ग के पुरुष, महिलाओं व कन्याओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। हर वर्ष की भांति अबक बार भी श्रावण मास में समिति के 131 युवा शिव भक्तों ने जयपुर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गलता जी से कावड़ जल लेकर नीलकण्ठ महादेव का अभिषेक किया। इस दौरान फागी कल्पे विशाल जुलूस के रूप कावड़ यात्रा निकाली गई।

भारकर एक्सपर्ट ब्यू

भूकंप के कण फैक्ट्री से निकलने वाले डस्ट पाउडर पार्टिकल से होने वाली एलर्जी हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती है। धूल के कण से होने वाली एलर्जी नाक बहना, आंखों से पानी आना और छींक आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर मामलों में, यह स्थिति लगातार बनी रह सकती है (जीपी), जिसके परिणामस्वरूप लगातार छींक आना, खासी, नाक बंद होना, चेहरे पर दबाव, एंजियमा का प्रकोप या गंभीर अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। डॉ. बनवारी लाल जाट, सीनियर चिकित्सक अतिरिक्त जिला सीएमएचओ दूदू।



मामलों में, यह स्थिति लगातार बनी रह सकती है (जीपी), जिसके परिणामस्वरूप लगातार छींक आना, खासी, नाक बंद होना, चेहरे पर दबाव, एंजियमा का प्रकोप या गंभीर अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। डॉ. बनवारी लाल जाट, सीनियर चिकित्सक अतिरिक्त जिला सीएमएचओ दूदू।

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ)
BHOPAL**

Application No. ____/2024

Between

Kamlesh Roj

.....Applicant

AND

The State of Rajasthan

.....Respondents

VAKALATNAMA

I, Kamlesh Roj ,s/o Prahlad Sahay Roj applicant herein, do appoint and retain **Mr. Shriram Jakhar Enrollment no: R/1674/2021, Seema Roj Enrollment no. R/2558/2018, Rinku Roj Enrollment no. R/6329/2023** Advocates to appear me in the above Application and to conduct and prosecute (or defend) the same and all proceedings that may be taken in respect of any application connected with the same or any decree or order passed therein including all applications for return of documents or the receipt to any moneys that may be payable to me in the said Appeal/ Application and also in appeal under to the Supreme Court of India and in all applications for review Judgment.

I Certify that the contents of this vakalatnama at were read our and explained in my presence to the Executant who appeared perfectly to understand the same and made his / her their signature in my presence

Executed before me this 23 day of August 2024

ACCEPTED:




Counsel for Applicant

The Mobile number, Email & address for service of the said
Counsel Email: ballb.jakhar@gmail.com
Mobile: 96496-16685, Address 361, TAGORE NAGAR, 200
FEET BYPASS, MAIN CHORAHA, AJMER ROAD,
JAIPUR